भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2237
दिनांक 15.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

पासपोर्टों का निरसन

2237. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के पास ऐसे गोवावासियों और अन्य लोगों का डेटा है जिनके पासपोर्ट पुर्तगाल के कार्टाओ डि सिडाडाओ दस्तावेज द्वारा बिल्हेत डि आइडेंटिडेड (बीआई) दस्तावेज के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप, निरस्त कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बीआई–पंजीकरण के कारण भारत में व्यक्तियों को होने वाली कानूनी समस्याओं के संबंध में पुर्तगाली सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में इस मुद्दे का समाधान करने और एक सुपरिभाषित नीतिगत ढांचा बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पणजी को पुर्तगाली राष्ट्रीयता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप भारतीय पासपोर्ट वापस करने के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान 2000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। पिछले 3 वर्षों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा 114 पासपोर्ट रद्द किए गए हैं।

(ग) और (घ) ऐसे मामलों को विनियमित करने के लिए पासपोर्ट अधिनियम 1967 और नागरिकता अधिनियम 1955 के संदर्भ में एक सुस्पष्ट कानून मौजूद है।

*****